

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
कार्यालय आदेश

का०सं०— 22 / ग्रा०वि०, पटना दिनांक— 12.01.2007
ग्रा०वि० 1 स्था० (रा०प० / सूचना)— 32 / 2006

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-5(1) के तहत ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के लिए लोक सूचना पदाधिकारी के रूप में नामित से संबंधित पूर्व निर्गत विभागीय कार्यालय आदेश को निरस्त करते हुए विभाग के लिए निम्न पदाधिकारियों को प्रशाखावार लोक सूचना पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाता है:-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	प्रशाखा
1	2	3	4
1.	श्री आदित्य प्रसाद, वि०प्र०से०	उप सचिव	प्रशाखा-1 एवं 2
2.	सुश्री नीलम गुप्ता, वि०प्र०से०	अवर सचिव	प्रशाखा-7 एवं 8
3.	श्री बाल कृष्ण राम, स०से०सं०	अवर सचिव	प्रशाखा-4 एवं 5
4.	श्री शिव कुमार सुमन, स०से०सं०	अवर सचिव	प्रशाखा-3 एवं 6

2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू है ।

ह०/-
(नृपति मंडल)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक— 499 / ग्रा०वि०, पटना दिनांक— 12.01.2007
प्रतिलिपि:- विभाग के सभी पदाधिकारी/सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी सहायकों को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक— 499 / ग्रा०वि०, पटना दिनांक— 12.01.2007
प्रतिलिपि:- सचिव, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना/महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना/सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना/सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक— 499 / ग्रा०वि०, पटना दिनांक— 12.01.2007
प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/ श्री वीरेन्द्र कुमार सिन्हा, सांख्यिकी सहायक, गुप्त वार्ता झाकई, ग्रामीण विकास विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर लाने हेतु क्रियार्थ प्रेषित ।

ह०/-
सरकार के उप सचिव